8 6/18 पत्रावली कॉमन कोर्ट में पेश है। दोनों पक्षों
को T.C. फैसला बाद पाबन्द किया जाता है कि
वो मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दफ्तर से खारिज हो तथा बाद मुकमील संलग्न
बाद हो।

Scanned by CamScanner